राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	1212/2024	विक्रम सिंह	1. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर। 3. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर। 4. मूलचन्द पुत्र श्री हरदेवाराम, HC(MT) 1052 C/O Supdt. of police, सीकर 5. करण सिंह पुत्र झूथाराम, HC(MT) 248 C/O Supdt. of police, भिवाडी। 6. रणधीर सिंह पुत्र श्री खेमचन्द HC(MT) 194 पुलिस लाईन, दौसा
2.	1211/2024	महेश चन्द जांगिड़	
3.	1210/2024	जगमोहन सिंह	

आदेश की दिनांक : 28.10.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में विवाद का बिन्दु समान होने से समस्त अपीलों का निस्तारण इस एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या–1212/2024 विक्रम सिंह बनाम गृह विभाग एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

2. अपील संख्या 1212/2024 में अपीलार्थी विक्रम सिंह की ओर से यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति सीधी भर्ती से कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर जिला दौसा, रेंज जयपुर में वर्ष 1998 में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत हुई थी। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 मूलचन्द की प्रथम नियुक्ति जिला बूंदी, रेंज कोटा में दिनांक 15.03.1998 के आदेश से हुई थी। इसके पश्चात उनका स्थानांतरण उनके स्वयं के निवेदन पर कोटा जिले से जयपुर रेंज में दिनांक 12.08.2003 को किया गया। इसी प्रकार प्रत्यर्थी संख्या–5 करण सिंह की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल चालक के पद पर जिला अजमेर, रेंज अजमेर में दिनांक 20.03.1998 को हुई थी एवं उनका स्थानांतरण उनके स्वयं के निवेदन पर जयपुर रेंज में दिनांक में 19.07.2006 को किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–6 रणधीर सिंह की प्रथम नियुक्ति जीआरपी जोधपुर में दिनांक 25.03.1998 को हुई थी और उनके स्वयं के निवेदन पर उनका स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.10.2009 के द्वारा जयपुर किया गया। जयपुर रेंज में कार्यरत कांस्टेबल चालकों की अस्थाई

वरीयता सूची दिनांक 01.04.2013 जारी की गई, जिसमें रेंज के बाहर से आए हुए कांस्टेबल चालकों को अपीलार्थी के ऊपर रखा गया है, जिस पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अस्थाई वरीयता सूची संशोधित कर बाहर से आए हुए कांस्टेबल चालकों को अपीलार्थी से नीचे रखा जाएं। इसके पश्चात दिनांक 01.04.2019 को वरीयता सूची जारी की गई, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या–4 मूलचंद, प्रत्यर्थी संख्या–5 करण सिंह एवं प्रत्यर्थी संख्या–6 रणधीर सिंह को क्रमशः 86, 89 एवं 92 नंबर पर रखा गया, जबकि अपीलार्थी को उनके बाद स्थान दिया गया है। निजी प्रत्यर्थीगण अपने स्वयं के निवेदन पर अन्य रेंज से जयपुर रेंज में आए थे, ऐसे में निजी प्रत्यर्थीगण को रेंज में पदस्थापित कांस्टेबल से नीचे वरीयता दी जानी चाहिए थी। प्रत्यर्थी विभाग ने जयपुर रेंज में हेड कांस्टेबल चालकों की वर्ष 2013–14 की 25 रिक्तियों की पूर्ति हेतु योग्यात्मक परीक्षा दिनांक 28.08.2023 को आयोजित कर चयन सूची बनाई और 25 कांस्टेबल चालकों को हेड कांस्टेबल चालक के पद पर आदेश दिनांक 12.09.2023 के द्वारा पदोन्नति दी गई है, जिसमें निजी प्रत्यर्थीगण को पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया है, जबकि अपीलार्थी भी सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है और उसी जिले में कार्यरत है। अपीलार्थी भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, परंतु चूंकि वरीयता सूची में गलत तरीके से निजी प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी से ऊपर रखा गया था, ऐसे में अपीलार्थी पदोन्नति से वंचित हुआ है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि निजी प्रत्यर्थीगण अन्य रेंज से अपने स्वयं के निवेदन पर जयपुर रेंज में पदस्थापित हुए हैं। ऐसे में उन्हें अपीलार्थी से नीचे वरीयता दी जानी चाहिए थी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गलत रूप से वरीयता सूची तैयार की गई है। इस कारण से अपीलार्थी को योग्यात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी वर्ष 1998 में जिला दौसा रेंज जयपुर मे सीधे कानि. चालक के रूप नियुक्त किया गया। जबकि प्रतिवादी नम्बर 4 मूलचन्द सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया गया था, जो कोटा रेंज के तहत जिला बूंदी मे दिनांक 15.03.1998 में भर्ती और नियुक्त किया गया था। उसके बाद दिनांक 12.08.2003 को जयपुर रेंज जयपुर में सीकर जिले मे स्थानान्तरित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 5 करणसिंह चालक कानि. 753 अजमेर रेंज से दिनांक 20.03.1998 को अजमेर

जिला मे नियुक्त किया गया था, जो दिनांक 19.07.2006 को जिला अलवर मे जयपुर रेंज मे स्थानान्तरित होकर आया है। प्रतिवादी सं. 6 रणधीर सिंह कानि. चालक 671 जो जीआरपी जोधपुर से दिनांक 25.03.1998 को नियुक्त हुआ एवं दिनांक 15.10.2009 को स्थानान्तरण होकर जयपुर रेंज जयपुर के जिला दौसा में आया। इसी प्रकार अन्य कानि० चालकों को अन्य रेंज में नियुक्त किया गया था तथा बाद में उन्हे जयपुर रेंज मे या अन्य रेंज में स्थानान्तरित किया गया है। कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर के पत्र कमांक 452–56 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा माननीय न्यायालय एवं सिविल अपील अधिकरण द्वारा पारित विभिन्न रिटों मे निर्णय के अध्यधीन दिनांक 01.04.2013, 12, 13, 14, 15 की स्थिति के अनुसार जयपुर रेंज मे पदस्थापित कानि० तकनीकी एमटी की अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई। अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 कानि. से हैड कानि० एमटी की योग्यात्मक परीक्षा के साक्षात्कार में वर्ष 2013–14 की सीनीयरटी के आधार पर वरिष्ठता सूची मे नहीं आने के कारण चयन सूची मे नहीं लिया गया। पुलिस अधीक्षक सीकर के पत्र क्रमांक 327 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा वर्ष 2013–14 के कानि. से हैड कानि० एमटी की चयन सूची जारी की गई, जिसमें दूसरी रेंज से स्थानान्तरित होकर आये कानि० का चयन किया गया है जो कि नियुक्ति दिनांक में वरिष्ठ होने के कारण उनका चयन किया गया है। वरिष्ठता सूची में स्थानान्तरण पर अन्य रेंज से आये कानि० एमटी को जयपर, रेंज से नियुक्त कानि० के ऊपर वरिष्ठता में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–36 व पुलिस मुख्यालय के परिपत्र कमांक 13–148 दिनांक 14.03.2000 के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है। जिसके अन्तर्गत नियुक्ति दिनांक मे वरिष्ठ होने के कारण वरिष्ठता मे वरिष्ठ रखा गया है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. हम पाते हैं कि पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर ने परिपत्र दिनांक 24.03.2020 जारी कर निम्न प्रकार से निर्देश दिए हैंः–

> ''राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 36 के अन्तर्गत किसी भी जिला/यूनिट के लिए किसी एक भर्ती वर्ष में नियुक्त कानि. की वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी।
>
> 1. उस जिला/यूनिट में सीधी भर्ती से नियुक्त कानि.।
> 2. उस जिला/यूनिट में खेल कोटा के अंतर्गत नियुक्त कानि.।

3. उस जिला/यूनिट में अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त कानि.।
4. अन्य जिला/यूनिट से स्थानान्तरित लेकर आए कानि. ।
क्रम संख्या (1) सबसे वरिष्ठ एवं क्रम संख्या (4) सबसे कनिष्ठ होंगे।

एक ही क्रम संख्या (प्रक्रिया) के नियुक्त/स्थानान्तरित कानि. की पारस्परिक वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी।

क्रम संख्या (1) एवं (2) समग्र चयन सूची के आधार पर।

क्रम संख्या (3) एवं (4) कार्यग्रहण दिनांक के आधार पर, कार्यग्रहण तिथि एक होने पर जन्म तिथि के आधार (अधिक आयु वाला वरिष्ठ), जन्म तिथि एक होने पर उच्च शैक्षणिक योग्यता वाला वरिष्ठ एवं शैक्षणिक योग्यता समान/समकक्ष होने पर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाला नाम (प्रथम नाम) वरिष्ठ होगा।

उक्त परिपत्र इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक स.12(01) पुलिस कार्य/सी. सैल/2001/4–103, दिनांक 10.01.2008 के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।''

6. इस प्रकार जिला/यूनिट में सीधी भर्ती से नियुक्त कांस्टेबल को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है और अन्य जिले से स्थानांतरित होकर आए कांस्टेबल को वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–36 के उप नियम–7 में निम्न प्रकार से प्रावधान रखा गया है :–

"(7) In case a person is allowed to move from one section to another under rule-4, on his request he shall rank junior most in the particular rank in the section to which he is transferred."

7. उक्त नियम में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान रखा गया है कि जो कांस्टेबल अन्य जिले से स्वयं के निवेदन पर नई रेंज में स्थानांतरित होकर आए हैं, उन्हें नई रेंज में उसी पद पर सबसे नीचे वरीयता दी जाएं। प्रत्यर्थी विभाग ने इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं की है कि निजी प्रत्यर्थीगण मूलचंद, करण सिंह एवं रणधीर सिंह स्वयं के निवेदन पर जयपुर रेंज में स्वयं के निवेदन पर स्थानांतरित होकर आए हैं। अतः स्पष्ट रूप से कांस्टेबल के पद पर उन्हें इस रेंज में पदस्थापित कांस्टेबलों के सबसे नीचे रखा जाना चाहिए था। अपीलार्थी जो कि इस रेंज में पूर्व में ही कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, उन्हें वरीयता सूची में निजी प्रत्यर्थीगण के ऊपर रखा जाना चाहिए। अपीलार्थी चूंकि पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। अपीलार्थी को इस आधार पर पदोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थीगण से वरीयता सूची में नीचे है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन नियम विरूद्ध है कि

नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ होने के आधार पर निजी प्रत्यर्थीगण को वरिष्ठता में वरिष्ठ रखा गया। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–36 के उप नियम–7 एवं पुलिस मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 13–148 दिनांक 14.03.2000 के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण कर नियुक्ति दिनांक में वरिष्ठ होने के आधार पर निजी प्रत्यर्थीगण को वरिष्ठ नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि निजी प्रत्यर्थीगण स्वयं के निवेदन पर स्थानांतरित होकर जयपुर रेंज में आए हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण जयपुर रेंज में वरिष्ठता में सबसे नीचे का स्थान प्राप्त करेंगे।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थीगण की तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि जयपुर रेंज के हेडकॉस्टेबल चालकों को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के सम्बन्ध में आयोजित योग्यात्मक परीक्षा हेतु वरिष्ठता सूची को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–36 के उप नियम–7 को दृष्टिगत रखते हुए नये सीरे से तैयार करें एवं उसके आधार पर परीक्षा में चयनीत हुए अभ्यर्थियों को नवीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति प्रदान करें।

9. मूल आदेश को अपील संख्या 1212/2024 में एवं छायाप्रति उपरोक्त तालिका में अंकित अन्य दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)